संख्या-20/2025/बी-1-1631/दस-2025

प्रेषक,

आलोक दीक्षित,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग(बजट "क" वर्ग),
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 लखनऊः दिनाँक 10 दिसम्बर, 2025

विषयः लोक निर्माण विभाग में सी.सी.एल. प्रणाली समाप्त किये जाने के फलस्वरूप "वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑनलाइन आहरण एवं वितरण कार्य हेतु" डी.डी.ओ. कोड आवंटन।

महोदय,

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-7/2024/बी-1-853/दस-2024 दिनाँक 26 सितम्बर, 2024 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-6, प्रयागराज को "केवल वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑनलाइन आहरण एवं वितरण कार्य हेतु" आहरण एवं वितरण अधिकारी नामित करते हुए डी.डी.ओ.कोड संख्या-4911 आवंटित की गयी है। लोक निर्माण अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या-I/1035041/325/23-5-2025 दिनांक 23 जुलाई, 2025 द्वारा निर्माण खण्ड-6 लोक निर्माण विभाग, प्रयागराज को निर्माण खण्ड-4 (भवन), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के रूप में पुर्नस्थापित किया गया है।

2. उक्त के सन्दर्भ में प्रशासकीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, उपरोक्त अंकित शासनादेश दिनाँक 26 सितम्बर, 2024 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-6, प्रयागराज को "केवल वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑनलाइन आहरण एवं वितरण कार्य हेतु" आवंटित डी.डी.ओ. कोड संख्या-4911 को निरस्त करते हुए, उसके स्थान पर अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-4 (भवन), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को "केवल वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑनलाइन आहरण एवं वितरण कार्य हेतु" डी.डी.ओ.कोड संख्या-4904 आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करतीं हैं।

भवदीय

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

संख्या-20/2025/बी-1-1631(1)-दस-2025, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग।
3. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ व प्रयागराज।
6. लोक निर्माण अनुभाग-10
7. वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, निर्माण भवन, लखनऊ।
8. सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।